**VIV/551/10/2019**
**विदेश मंत्रालय**
**पीएसपी प्रभाग**
**(पीएसपी- IV अनुभाग)**

**पटियाला हाऊस एनेक्सी,**
**नई दिल्ली: 06 दिसम्बर, 2019**

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: सरकारी सेवकों द्वारा सेवा मामलों के संबंध में किया जाने वाला अभ्यावेदन।**

एततद्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकारी सेवकों के लिए उनके सेवा मामलों के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। यदि, कोई कर्मचारी किसी याचिका का निवारण चाहता है, तो उसका उचित मार्ग है स्वयं के निकटतम वरिष्ठ अधिकारी, या कार्यालय प्रधान, या उपयुक्त स्तर पर किसी अन्य प्राधिकारी को उस याचिका का संबोधन जो कि संगठन में इस प्रकार के मामलों पर कार्यवाही के लिए सक्षम हो। इन निर्देशों के बावजूद भी यह पाया गया है कि केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के कर्मचारी अथवा उनके संबंधी सीधे प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री/विदेश राज्यमंत्री को अपनी याचिकाओं के निवारण के लिए अक्सर अभ्यावेदन भेजते रहते हैं। इसमें ई. मेल अथवा जन-शिकायत पोर्टल के माध्यम से किया जाने वाला सभी प्रकार का संप्रेक्षण सम्मिलित है।

2. संप्रेक्षण के निर्धारित माध्यम के अतिरिक्त सीधे अन्य प्राधिकारिओं को जमा किए जाने वाले इस प्रकार के अभ्यावेदनों को गंभीरता से लिया जाएगा तथा जो इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हैं उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय लोक सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 के प्रावधान, जिसमें सरकारी सेवकों को उनके सेवा संबंधी मामले में बाहरी प्रभाव डलवाए जाने के लिए निषेध किया गया है, की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। इस प्रकार के आचरण को सरकारी सेवा के लिए अयोग्यता के तौर पर माना जाएगा और केन्द्रीय लोक सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (1) (iii) के प्रावधान को आकर्षित करेगा।

3. इसलिए, सभी पासपोर्ट कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन दिशा-निर्देशों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी कर्मियों के संज्ञान में लाएँ। यह फिर दुहराया जाता है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

दीपक दास
(दीपक दास)
प्रशासनिक अधिकारी (पीएसपी-IV एवं संवर्ग)

प्रति:

1. सभी पासपोर्ट कार्यालय।
2. संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, पटियाला हाऊस एनेक्सी, नई दिल्ली।
3. विशेष कार्य अधिकारी (पीएसपी), पटियाला हाऊस एनेक्सी, नई दिल्ली।
4. अवर सचिव (सतर्कता), पीएसपी प्रभाग, पटियाला हाऊस एनेक्सी, नई दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी, (पीएसपी-संवर्ग), पीएसपी प्रभाग, पटियाला हाऊस एनेक्सी, नई दिल्ली।